-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस लाइन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान को लेकर बाल विवाह, किशोर अपराधों/हिंसा व महिला सम्बन्धी अपराधों आदि की प्रभावी रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक। सभी सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा- निर्देश।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में मासिक SJPU एवं जनपदीय बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की बैठक को आज दिनांक 06.02.2026 अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अपनाने पर बल दिया गया। यह भी बताया गया कि बाल विवाह में सेवाएं देने वाले टेंट हाउस एवं कैटरर्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। बाल विवाह का मामला पाए जाने पर लड़की एवं लड़के के माता-पिता सहित विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों, टेंट हाउस तथा कैटरर्स के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बाल श्रम मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्यवाही पर जोर दिया गया। जनपद में हो रहे विवाह आयोजनों में टेंट हाउस एवं कैटरर्स द्वारा नाबालिग बच्चों से रात्रि में कार्य कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई तथा इसे रोकने हेतु टेंट हाउस एवं कैटरर्स के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता को देखते दिशा निर्देश दिए गए। गुमशुदा बच्चों को खोजने तथा उनकी सूचना समय से CCTNS फॉर्म-8 एवं वात्सल्य पोर्टल (फॉर्म M/R) में फीडबैक के साथ अपडेट किए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। बरामद बालिकाओं के नियमानुसार आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध से पीड़ित होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग कराते हुए आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। पीड़िता के धारा 180 BNSS के अंतर्गत बयान केवल महिला उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएं। पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि कॉल रिकॉर्ड तथा परिजनों के बयानों से भी की जाए। पीड़िता जितने दिन बाहर रही, कहाँ-कहाँ रही, किसके साथ रही तथा उसके साथ क्या अपराध हुआ,इन सभी तथ्यों से संबंधित पर्याप्त एवं सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जाने हेतु विवेचकों को निर्देशित किया गया। ऐसी बालिकाएं जो चार माह से अधिक समय से बरामद नहीं हुई हैं, उनके मामलों में उनके लैंगिक शोषण की संभावना मानते हुए विवेचना में AHTU द्वारा कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। CNCP श्रेणी के सभी प्रकार के पीड़ित बच्चों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनके संरक्षण, देखरेख एवं पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाए। CCL श्रेणी के ऐसे किशोर जिनके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, उनके मामलों में नियमानुसार फॉर्म-1 भरकर किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को भेजा जाए। सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अपचारी किशोर के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के बजाय फॉर्म-1 के माध्यम से JJB चालान किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जाए। चरित्र सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि अपराध 18 वर्ष से कम आयु में कारित किया गया हो, तो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही एवं सत्यापन किया जाए। समीक्षा बैठक में, सदस्य जिला प्रोबेशन विभाग बांदा,सदस्य बाल संरक्षण विभाग, मुख्यचिकित्साधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी, थाना एएचटी, एसजेपीयू, वन स्टॉप सेन्टर, साथी उत्तर प्रदेश संस्था तथा ग्रामीण स्वावलंबन समिति,ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।